<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

अपील एल0 आर0 संख्या 29／2022 जिला भीलवाड़ा

रतनलाल पुत्र कजोड़ीमल जाति ब्राम्हण निवासी मकान नम्बर 105 नया बापूनगर, भीलवाड़ा।

....अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 20.06.2018 जो प्रकरण संख्या 9／2015 में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री हेमराज गुप्ता (अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–28.07.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चैनपुरिया तहसील हुरड़ा के पुराने खसरा नम्बर 1105／1231 की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्तमान अपीलांट को आवंटित की गई थी। उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 1259／1105, 1260／1105 कुल किता 2, कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा बने। दिनांक 20.02.1976 को नामातंरण संख्या 35 के द्वारा उक्त भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की गई तथा अपीलांट को दिनांक 21.09.1976 को कब्जा संभलाया गया।

तहसीलदार हुरड़ा (रेस्पो0 नम्बर 1) द्वारा यह कहते हुए कि आवंटी द्वारा शर्तों की पालना न करते हुए विवादित भूमि पर खेती नहीं की गई है। अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किया जाये। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 20.06.2018 को तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र` स्वीकार कर आवंटन निरस्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है–

1. अपीलांट द्वारा फसलकाश्त नहीं करने की वजह से आवंटन निरस्त किया गया है जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि अपीलांट जब भी विवादित भूमि पर काश्त करने पहुंचता था तो स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उसे काश्त करने नहीं दिया जाता था। इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा सेना विभाग को पत्र भी लिखा गया था। स्टेशन वर्कशॉप ई0एम0ई नसीराबाद द्वारा दिनांक 02.08.1988 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा को इस बाबत पत्र लिखकर सूचना दी गई है। उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: SelfAttested

भी दिनांक 19.09.2006 को आदेश दिया गया था कि विवादित भूमि को काश्त करने के लिए अपीलांट को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवायी जायें। मगर उन्हें सहायता प्रदान नहीं की गई। ऐसा ही एक पत्र जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 05.06.2007 को अपीलांट को काश्त करने में सहायता देने बाबत लिखा गया था। परंतु अपीलांट को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई थी। स्पष्ट है कि अपीलांट काश्त करना चाहता था मगर उसे ग्रामीणों द्वारा काश्त नहीं करने दिया। ऐसी अवस्था में काश्त के अभाव में अपीलांट का जो भूमि आवंटन निरस्त किया गया , वह खारिज किया जायें। अन्य गांव रूपाहेली कलां में भूमि आवंटन बाबत भी उसके द्वारा पत्राचार किया गया था।

2. ना तो काश्त करने में उससे सहायता ली गई, ना ही अन्य जगह उसे भूमि आवंटित की गई।

3. अपीलांट को आवंटन सैनिक योग्यता के आधार पर किया गया था। जिसे धारा 14(4) के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता। अंत में निवेदन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 को निरस्त किया जायें। उसे भूमि काश्त करने में सहायता दी जायें। अन्यथा उक्त भूमि की एवज में ग्राम सुलतानपुरा या गंगाजीका खेड़ा में उसे भूमि आवंटित की जायें। अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रेस्पो0 नम्बर 1 तहसीलदार हुरड़ा उक्त विवादित भूमि को अन्यत्र आवंटन करने को आमादा है। जिसकी वजह से अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 को अपील के निर्णय होने तक स्थगित रखा जायें और राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2018 पारित करते हुए तलब नहीं किया गया था। अतः उसे इस एकपक्षीय निर्णय की जानकारी नहीं थी। दिनांक 16.02.2022 को तहसीलदार हुरड़ा के समक्ष विवादित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटन विवादित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्र के संबंध में जानकारी करने गया तो पता चला कि विवादित भूमि का आवंटन निरस्त हो चुका है। दिनांक 21.02.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया तथा दिनांक 24.02.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई तथा इसके बाद अजमेर आकर अपील तैयार करवायी। कोरोनाकाल के दौरान दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 28.02.2022 तक मियाद अवधि को अपवर्जित किया हुआ है। अतः देरी को क्षमा करके अपील को अंदर मियाद माना जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपना [illegible] की प्रमाणित प्रतिलिपी तथा उक्त निर्णय से संबंधित पत्रावली प्रकरण संख्या [illegible]/2015 की ऑर्डरशीट दिनांक 21.07.2015 से दिनांक 11.06.2018 तक की प्रस्तुत की है। साथ ही तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: SelfAttested

हुरड़ा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी कर रिकोर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है तथा उसे रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा पर दिनांक 20.02.1976 को भूमि आवंटित की गई थी। काश्त नहीं करने से उसका आवंटन निरस्त किया गया। जबकि अन्य ग्रामीण वहां पर उसे काश्त नहीं करने देते थे। वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2008(1) आरआरटी पेज 610 प्रस्तुत किया।

राजकीय अभि0 द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि विधिवत कार्यवाही की गई थी तथा अपीलांट द्वारा उन लोगो को पक्षकार नहीं बनाया गया जो उसे काश्त नहीं करने देते थे। साथ ही ऐसे लोगो के खिलाफ उनके द्वारा कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की गई। आवंटी द्वारा कई दस्तावेज फोटोकॉपी के रूप में प्रस्तुत किये, उन्हें प्रमाणित नहीं करवाया। रिब्युटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि रेस्पो0 द्वारा अपील में कोई लिखित मना करने बाबत कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार दिनांक 16.02.2022 को उसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2018 की जानकारी हुई। दिनांक 22.02.2022 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शीघ्र अतिशीघ्र अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 28.02.2022 को प्रस्तुत किया जाना पायी जाती है। दिनांक 14.03.2020 से दिनांक 28.02.2022 अवधि को कोरोना की वजह से मियाद अवधि के संदर्भ में शिथिलन दिया गया है। अतः जानकारी दिनांक से और कोरोना महामारी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के दिये गये दिशा निर्देश कें संदर्भ में अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अपीलांट को भूमि आवंटन सन् 1976 में किया गया था और उसके पक्ष में नामातंरण संख्या 35 ग्राम चैनपुरिया तहसील हुरड़ा दिनांक 20.02.1974 को खोला गया था। कुल 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि अलॉट की जाकर अपीलांट को गैर खातेदार दर्ज किया गया था। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा इस आधार पर की अपीलांट का भूमि पर कब्जा नहीं है तथा अपीलांट ने आवंटन सुदा भूमि पर काश्त नहीं की है। इस वजह से अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते भूमि आवंटन निरस्तीकरण स्वीकार करते हुए अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन आराजी नम्बर 1259／1105, 1260／1105 कुल किता 2 कुल रकबा 11.15 बीघा भूमि बाबत निरस्त कर दिया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के अंत में अंतिम पैरा में यह कहा गया है कि या तो विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जा दिलाने की समुचित व्यवस्था करवायें अथवा विवादित भूमि की एवज में ग्राम सुल्तानपुरा व नंगा जी का खेड़ा उसे भूमि आवंटित

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने के आदेश प्रदान किये जायें। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट विवादित भूमि पर काश्त नहीं कर पा रहा है तथा विवादित भूमि की जगह अन्य भूमि पर आवंटन के बाद काश्त करना चाहता है।

अलॉटी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2008(1) आरआरटी पेज 610 में पारित व्याख्या के अनुसार धारा 14(3–4) नियम के उल्लघंन के आधार पर कि आवंटन ने दो वर्ष में भूमि काश्त नहीं की, आवंटन का निरस्त करना–सन् 1999 में नियम संशोधित हुआ शर्त विलोपित की। गिरदावरी से भूमि का काश्त होना पाया जाता है। राजस्व मण्डल ने सही रूप से आदेश अपास्त किया। परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलांट का सन् 1976 के बाद से आज तक कोई कब्जा नही है तथा ना ही उसके द्वारा कभी काश्त की गई है। काश्त करने में वह असमर्थ रहा हैं। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है। हालांकि आवंटी द्वारा कही वर्षों से प्रशासनिक अधिकारियों को काश्त में सहायता करने बाबत पत्र लिखे है। मगर उसके द्वारा ऐसे लोग जो उसको काश्त नहीं करने देते है। बाबत कोई राजस्व, फौजदारी अथवा सिविल कार्यवाही नहीं की है। जो उसे करनी चाहिए थी। साथ ही आवंटी विवादित भूमि की वजह अन्य गांवों में भूमि आवंटन करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा कब्जाकाश्त ना होने से जो निर्णय किया है वह उचित है। अपील उक्तानुसार खारिज योग्य पायी जाती है। अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। कब्जे के अभाव में प्रथम दृष्टया प्रकरण ना होने से अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलांट चाहे तो पृथक रूप से अन्य गांवों में भूमि आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर वैकल्पिक अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

क्रियात्मक आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 9/2015 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 20.06.2018 को यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: SelfAttested